

न्यायालय:—सदस्य द्वितीय मोटरयान दुर्घटना, दावा अधिकरण, गोहद
(समक्ष: पी0सी0आर्य)

क्लेम प्रकरण क्रमांक: 16/2014
संस्थित दिनांक—29/04/2010
फाइलिंग नं—230303000222010

नाथूराम आयु 50 साल, पुत्र घमण्डी जाटव,
निवासी ग्राम लहचूरा, थाना मालनपुर,
जिला भिण्ड मध्यप्रदेशआवेदक

वि रू द्ध

- 1— गब्बर सिंह पुत्र कल्यान सिंह गुर्जर,
निवासी लक्ष्मणगढ थाना महाराजपुरा,
तहसील व जिला ग्वालियर.....वाहन चालक
- 2— नरेश सिंह पुत्र जगन्नाथ सिंह,
निवासी बिरला नगर ग्वालियर
द्वारा— मुख्तयार आम—रामनाथ सिंह,
पुत्र शिवसिंह निवासी संजय नगर ग्वालियर
.....वाहन मालिक
- 3— मण्डल प्रबंधक—
इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी,
लिमिटेड, हाल सिटी सेंटर ग्वालियर
.....बीमा कंपनी
.....अनावेदकगण

आवेदकगण द्वारा श्री जी0एस0 निगम अधिवक्ता ।
अनावेदक क्रमांक—1 व 2 द्वारा श्री कमलेश शर्मा अधिवक्ता ।
अनावेदक क्रमांक—3 द्वारा श्री के0पी0राठौर अधिवक्ता

—::— अधि—निर्णय —::—

(आज दिनांक 01/05/2015 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. आवेदक की ओर से उक्त आवेदनपत्र अंतर्गत धारा—166 मोटर दुर्घटना अधिनियम 1988 के अंतर्गत वाहन दुर्घटना में आयी साधारण और गंभीर चोटों के फलस्वरूप पहुंची साधारण एवं गंभीर उपहति से आर्थिक व मानसिक पीडा एवं इलाज में लगे व्यय की क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत करते हुए आवेदक को कुल 18,30,000/—रुपये अनावेदकगण से संयुक्त: एवं पृथक्कत: दिलाये जाने हेतु प्रस्तुत किया है ।

2. आवेदक का आवेदन सार संक्षेप में इस प्रकार है कि घटना दि. 29/9/2009 को अपने गांव लहचूरा हरीराम की कुईया से बस क्रमांक-एम.पी.07 एफ-1179 में बैठकर गोहद तारीख पेशी के लिए आ रहा था, किन्तु छीमका मोड़ पर अनावेदक क्रमांक-01 ने बस को तेजी व लापरवाही से चलाकर बस पलट दी जिससे बस में बैठी सवारियां को चोटें आईं व आवेदक के दाहिने हाथ में कोहनी के ऊपर फैंक्चर हो गया, व पसलियों में दोनों ओर मूंदी चोटें आयीं व दाहिने हाथ के अंगूठा में घाव होकर खून निकलने लगा तथा गर्दन में चोट आई ।
3. घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट चिरंजीव लाल शर्मा ने थाना गोहद चौराहा में लिखाई गई जो अपराध क्रमांक 170/09 पर दर्ज हुई। विवेचना के दौरान यह तथ्य सामने आया कि उक्त दुर्घटनाकारी वाहन का चालक गब्बर सिंह एवं मालिक नरेश सिंह है, नरेशसिंह की मृत्यु होने पर मुख्तयार आम रामनाथ सिंह बना । दुर्घटना में आहत/आवेदक के इलाज हेतु आर्थिक, व मानसिक पीडा के लिए कुल क्षतिपूर्ति के लिए 18,30,000/-रुपये अठारह लाख तीस हजार रुपये अनावेदकगण से दिलाये जाने की प्रार्थना की गई है।
4. अनावेदक क्रमांक-1 व 2 की ओर से जवाबदावा पेशकर अभिवचित किया गया है कि आवेदक ने अपनी आय मनगढंत लिखी है, वह कोई धंधा नहीं करता है, उसकी पत्नी व बच्चे मजदूरी करके स्वयं खर्चा चलाते हैं । दुर्घटना दि. को उनके वाहन से कोई घटना घटित नहीं हुई । आवेदक पूर्ण रूप से स्वस्थ है और कार्य करने में सक्षम है । विशेष आपत्ति करते हुए दर्शित किया है कि उक्त वाहन अनावेदक क्र.-3 बीमा कंपनी के यहां बीमित था एवं अनावेदक क्र.-1 के पास वाहन चलाने का वैध व प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस था, जिस कारण बीमा कंपनी ही क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी है ।
5. अनावेदक क्रमांक-3 बीमा कंपनी की ओर से जवाबदावा पेशकर अभिवचित किया गया कि घटना दि. को उक्त बस क्रमांक-एम.पी.-07 एफ 1179 केवल 22 सवारियां ढोने के लिए बीमित थी, जबकि उसमें क्षमता से अधिक सवारियां ले जायी जा रही थी, आवेदक उक्त बस में सवार था, यह भी स्पष्ट नहीं है, आवेदक मेडीकल व एक्सरे रिपोर्ट मुताबिक 60 साल से अधिक का है, आवेदक द्वारा भैंस पालन का प्रमाण भी पेश नहीं किया है, आवेदक ने भर्ती उपरांत डिस्चार्ज टिकिट पेश नहीं किया, न ही खर्चों का ब्यौरा पेश किया है, अनावेदक क्र.-1 द्वारा घटना दिनांक को उक्त बस बिना ड्राइविंग लाइसेंस के शराब पीकर, क्षमता से अधिक सवारियां बैठाकर, बिना परमिट व फिटनेस के चलाया जा रहा था, इस कारण बीमा की शर्तों का उल्लंघन होने से क्षतिपूर्ति राशि के लिए बीमा कंपनी उत्तरदायी नहीं है ।

6. पुलिस थाना गोहद चौराहा ने अपना वैधानिक उत्तरदायित्व की अवहेलना करते हुए कोई सूचना या दस्तावेज बीमा कंपनी क्र.-3 को नहीं दी है । आवेदक द्वारा ब्याज की राशि अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर मांगी गयी है । अनावदेक क्र.-1 व 2 ने मोटर यान अधिनियम की शर्तों का उल्लंघन किया है, दुर्घटना की सूचना बीमा कंपनी को नहीं दी गयी इस कारण बीमा कंपनी उत्तरदायी नहीं है । पक्षकारों द्वारा आपस में संधि कर ली है, अतः क्लेम याचिका निरस्त किए जाने का निवेदन किया ।
7. उभय पक्ष के अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में पूर्वाधिकारी द्वारा निम्नवाद प्रश्न विरचित किये गये जिन पर निकाले गये निष्कर्ष उनके समक्ष अंकित है ।

वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1 क्या, अनावेदक क्र.-1 ने अनावेदक क्र.-2 के स्वामित्व की बस क्र.-एम.पी.-07 एफ-1179 को दि. -29/09/09 को दिन के करीब 11:20 बजे भिण्ड ग्वालियर रोड पर छीमका कॉलौनी के मोड़ पर उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर बस को पलटा दिया ?	
2 क्या, आवेदक उक्त बस में यात्री के रूप में गोहद आने के लिए यात्रा कर रहा था, जिसे व अन्य सवारियां को बस के पलटने से गंभीर उपहति कारित हुई ?	
3 क्या, आवेदक को उक्त दुर्घटना में आयी चोटों के कारण स्थाई विकलांगता आई है ?	
4 क्या, आवेदक कृषि कार्य व पशुपालन से 15,000/-रुपये मासिक आय दुर्घटना के पूर्व अर्जित करता था जिसमें स्थाई ह्रास दुर्घटना के कारण आई विकलांगता के फलस्वरूप हुआ है ?	
5 क्या, आवेदक ने दुर्घटना में आई चोटों के उपचार आदि में एक लाख रुपये खर्च किए हैं?	
6 क्या, अनावेदकगण से दुर्घटना में पहुंचाई क्षतिपूर्ति हेतु संयुक्ततः व पृथक्ततः कुल 18,3000/-रुपये व उसपर ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है ?	
7 क्या, अनावेदक क्र.-3 बीमा कंपनी की दुर्घटनाकारी वाहन के संबंध में बीमा शर्तों का उल्लंघन हुआ है यदि हां तो प्रभाव ?	
8 सहायता एवं व्यय ?	

—::— निष्कर्ष के आधार —::—

8. आवेदक पक्ष की ओर से आवेदक साक्ष्य में आ0सा0—1 नाथूराम, आत्मदास आ.सा.—2 एवं कमलेश आ.सा.—3 के कथन कराये गये हैं तथा अनावेदक क्रमांक— 1 व 2 की ओर से गब्बर सिंह अनावेदक साक्षी क्र.—03 की साक्ष्य पेश की गयी है एवं अनावेदक क्रमांक—3 बीमा कंपनी की ओर से अरविंद गोयल अना.साक्षी क्र.—01 एवं ताराचंद बाथम अनावेदक साक्षी क्र.—02 की खंडन साक्ष्य पेश की गई है तथा आवेदक की ओर से प्र0पी0—1 लगायत 9 के दस्तावेज पेश किये गये हैं तथा अनावेदक क्रमांक—3 बीमा कंपनी की ओर से प्रदर्श डी.—1 लगायत प्रदर्श डी.—10 के दस्तावेज पेश किए गये हैं ।

—::— वा द प्र श न क मां क—01 व 02 —::—

9. उक्त दोनों वादप्रश्न एक दूसरे से संबंधित होने से एवं साक्ष्य में पुनरावृत्ति को रोकने व असुविधा की दृष्टि से एक साथ निराकृत किए जा रहे हैं ।
10. इस संबंध में प्रकरण में आवेदक नाथूराम आ0सा0—1 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि दिनांक 29.09.09 को दिन के करीब 11.00 बजे वह अपने गांव लहचूरा से हरिराम की कुईया आया था और हरिराम की कुईया से गोहद चौराहा के लिये बस क्रमांक—एम0पी0—07/एफ—1179 में बैठकर तारीख पेशी के लिये आ रहा था। बस छीमका मोड पर आई थी जिसे अनावेदक क्र0—1 गब्बरसिंह चला रहा था जिसने तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाकर बस को पलट दिया था जिससे बस नाली में जाकर गिर गयी थी। और उसमें बैठी सवारियों को चोटें आई थीं। उसे भी चोटें आई थीं। दाहिने हाथ की कोहनी में फ्रेक्चर हो गया था। दोनों तरफ पसलियों में, दांये हाथ के अंगूठे में, गर्दन में चोटें आई थीं। अन्य सवारी चिरंजीव लाल शर्मा ने पुलिस थाना गोहद चौराहा पर रिपोर्ट कराई थी और मेडिकल परीक्षण सीएचसी गोहद में हुआ था। अनावेदक क्र0—1 गब्बरसिंह के विरुद्ध जेएमफसी गोहद के न्यायालय में आपराधिक प्रकरण दुर्घटना के संबंध में संचालित है। उक्त साक्षी का उक्त संबंध में आत्मदास अना0सा0—2 व आहत/आवेदक नाथूराम के पुत्र कमलेश आ0सा0—3 ने भी दुर्घटना बाबत समर्थन किया है।
11. नाथूराम अना0सा0—1 ने यह भी बताया है कि उक्त बस में वह हरिराम की कुईया से बैठा था जो ग्वालियर से आ रही थी और उसने बस क्रमांक स्वयं देखा था क्योंकि वह पढा लिखा है। बस सवारियों से फुल भरी थी। बस पलटने से उसके अलावा 10—12 और लोगों को भी चोटें आई थीं। सवारियों के बताये अनुसार वह बस चालक के रूप में अनावेदक गब्बरसिंह को बताता है। पैरा—10 में उसने यह भी कहा है कि बस पूरी भरी हुई थी। कुछ सवारियों

खड़ी थीं। वह भी डण्डा पकड़ के खड़ा था। बस खचाखच भरी थी जिसके गेट पर भी कुछ लोग लटके थे। छत पर सवारियों नहीं थीं। आत्मदास आ0सा0-2 ने यह भी बताया है कि नाथूराम उसे अस्पताल में मिले थे। बस में 40-50 लोग थे। दुर्घटना छीमका मोड़ पर छीमका गोहद चौराहा के बीच में हुई थी जिस स्थान पर दुर्घटना घटी थी उसे छीमका मोड़ कहते हैं। वह बस में 40-50 सवारियों का होना बताता है। और उसने यह भी कहा है कि ड्रायवर को तेज चलाने के लिये कोई निर्देश या निवेदन नहीं किया था कि कैसे चलाये। अचानक ही घटना घटित हो गई थी। इस संबंध में आ0सा0-3 ने पैरा-2 में यह बताया है कि उसका पिता घटना वाले दिन फैक्ट्री से उसके भाई की दुर्घटना की मृत्यु के मामले में तारीख पेशी पर गोहद गये थे। और उसे गोहद अस्पताल से किसी ने फोन पर यह सूचना दी थी तब वह गया था।

12. इस संबंध में अनावेदक क्र0-1 व 2 की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्षी गब्बरसिंह अना0सा0-3 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि दिनांक 29.09.09 को बस क्रमांक-एम0पी0-07एफ-1179 से कोई दुर्घटना नहीं हुई न ही वह बस चलाता है और न घटना दिनांक को उसके द्वारा बस चलाई जा रही थी। उसे एक माह बाद पुलिस गोहद चौराहा ने गिरफ्तार कर झूठा मामला बना दिया और घर से गिरफ्तार कर लिया था और उसके पास वाहन चलाने का वैध ड्रायविंग लायसेन्स भी है। लेकिन उसने पैरा-2 में यह स्वीकार किया है कि बताई गई घटना के संबंध में उस पर पुलिस केस चल रहा है।

13. इस संबंध में अनावेदक क्र0-3 की ओर से परीक्षित कराये गये इन्वेस्टिगेटर अरविन्द गोयल अना0सा0-1 ने बताया है कि एफ0आई0आर0 मुताबिक जो घटना बताई गई है उसमें 34 सवारियों को चोटें आना बताया गया है लेकिन परमिट केवल 21+1 सवारियों का अस्थाई परमिट था तथा गोल पहाड़िया से डी0डी0नगर तक का था और पैरा-5 में उसने उक्त बस उनकी बीमा कंपनी में नरेशसिंह के नाम से बीमित होना स्वीकार किया है। इन्वेस्टिगेशन में चालक व मालिके वह घर जाना लेकिन उनसे कोई मुलाकात न होना बताता है। इस प्रकार से वाद प्रश्न क्रमांक-1 व 2 के संबंध में अभिलेख पर जो मौखिक साक्ष्य आई है उसमें आवेदक की साक्ष्य में अनावेदक क्र0-2 के स्वामित्व की बस क्रमांक- एम0पी0-07 एफ- 1179 का छीमका मोड़ के पास अनावेदक क्र0-1 गब्बरसिंह के द्वारा तेजी व लापरवाही से चलाये जाने के फलस्वरूप बस का पलट जाना, उसमें बैठी सवारियों का चोटिल होना बताया गया है जिससे अनोवदक क्र0-1 व 2 इन्कार करते हैं। किन्तु उक्त बताई दुर्घटना के संबंध में अनावेदक क्र0-1 गब्बरसिंह पर फौजदारी मामला संचालित होना प्रमाणित है। जो कि प्र0पी0-1 लगायत 9 के दस्तावेजों से भी स्पष्ट होता है।

14. अनावेदक क्र0-1 व 2 का आधार वाहन वैध रूप से बीमित

होना और बीमा पॉलिसी की शर्तों का कोई उल्लंघन न होने बाबत किया गया है। जबकि बीमा कंपनी अनावेदक क्र०-3 बिना परमिट क्षमता से अधिक सवारियों का ढोये जाने से बीमा शर्तों का उल्लंघन होने से बीमा कंपनी का कोई उत्तरदायित्व न होने का आधार लिया गया है। उसी अनुसार साक्ष्य भी दी गई है।

15. अभिलेख पर उभयपक्ष की ओर से मौखिक व दस्तावेजी दोनों प्रकार की साक्ष्य पेश की गई है। प्र०पी०-1 के रूप में अनावेदक क्र०-1 गब्बरसिंह के विरुद्ध थाना गोहद चौराहा में अप०क्र०-170/09 धारा-279,337 एवं 338 भादवि के दर्ज मामले के अभियोग पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र०पी०-2, उक्त अपराध की एफआईआर की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र०पी०-5, घटनास्थल का नजरीय नक्शामौका प्र०पी०-6, गब्बरसिंह का गिर० पंचनामा प्र०पी०-7, गब्बरसिंह से दुर्घटनाकारी बस मय दस्तावेजों के जप्ती करने का जप्ती पत्र पेश किये हैं जिनसे दुर्घटना बस क्रमांक-एम०पी०-07एफ-1179 के पलट जाने से घटित होना बताई गई है। किसी तकनीकी खराबी से बस पलटने की साक्ष्य नहीं है। इससे प्रथम दृष्ट्या चालक की उपेक्षा या उतावलापन दर्शित होता है। उक्त दस्तावेजों के आधार पर और दाण्डिक मामला विचाराधीन होने के बिन्दु को देखते हुए अनावेदक क्र०-1 दुर्घटनाकारी बस का दुर्घटना के समय चालक होना भी प्रमाणित होता है। प्र०पी०-9 के रूप में सुपुर्दगीनामा की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की गई है जिससे यह भी प्रमाणित होता है कि अनोवदक क्र०-2 नरेशसिंह उक्त बस का वाहन स्वामी था और बीमा कंपनी की ओर से भी उसे ही वाहन स्वामी बताया गया है और उसी के नाम से वाहन बीमित बताया गया है जो कि अनावेदक की मौखिक साक्ष्य के अलावा अना०सा०-1 के द्वारा किये गये इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट प्र०डी०-1, ऑनलाईन भुगतान की रसीद प्र०डी०-6, परमिट रिपोर्ट प्र०डी०-7, प्रमाण पत्र प्र०डी०-8, अस्थाई परमिट तीनों और बीमा पॉलिसी प्र०डी०-10 से भी स्पष्ट होता है जिससे यह प्रमाणित हो जाता है कि दिनांक 29.09.10 को बस क्रमांक-एम०पी०-07एफ-1179 का चालक अनावेदक क्र०-1 गब्बरसिंह एवं वाहन स्वामी अनावेदक क्र०-2 नरेशसिंह था।

16. प्र०पी०-3 की मेडिकल रिपोर्ट तथा प्र०पी०-4 की एक्सरे रिपोर्ट के आधार पर आवेदक नाथूराम का उक्त दुर्घटना में घायल होना तथा उसके दांये हाथ की हूमरस नाम की हड्डी में अस्थिभंजन होना प्रमाणित होता है और उसके लिये संबंधित चिकित्सक का साक्ष्य भी आवश्यक नहीं है। क्योंकि आवेदक की मौखिक साक्ष्य में भी दाहिना हाथ टूट जाने की साक्ष्य दी गई है जिसका कोई खण्डन अनावेदकगण की ओरसे नहीं है। इससे यह भी प्रमाणित हो जाता है कि उक्त दुर्घटना में आवेदक नाथूराम बस पलटने से क्षतिग्रस्त हुआ था और उसे दांये हाथ की हूमरस हड्डी में अस्थिभंजन होकर गंभीर उपहति कारित हुई थी जो यात्री के रूप में बस में यात्रा कर रहा था। अतः वाद प्रश्न क्रमांक-1 व 2 प्रमाणित

पाते हुए आवेदक के पक्ष में निर्णीत किये जाते हैं।

—::— वा द प्र श न क मां क—3 —::—

17. उक्त वाद प्रश्न को प्रमाणित करने का भार आवेदक पर ही है। आवेदक की ओर से अपने अभिवचनों एवं मुख्य परीक्षण की साक्ष्य में स्थाई विकलांगता आने का कथन पैरा-3 में किया गया है। किन्तु पैरा-9 में उसने यह स्वीकार किया है कि उसका दाया हाथ टूट गया था और उसने प्रकरण में कोई विकलांगता प्रमाण पत्र पेश नहीं किया है। हालांकि वह इस बात से इन्कार करता है कि हाथ पूरी तरह से काम कर रहा है। बल्कि वह दाहिने हाथ से कोई काम नहीं कर पाना बताता है। अस्थिभंजन होने की साक्ष्य आत्मदास अ0सा0-2 व कमलेश अ0सा0-3 ने भी दी है। अनावेदकगण की साक्ष्य में दुर्घटना से ही इन्कार किया गया है।
18. इस संबंध में आवेदक की ओर से किसी विशेषज्ञ साक्षी को पेश नहीं किया गया है न ही कोई स्थाई विकलांगता प्रमाण पत्र पेश किया गया है जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चोटों की प्रकरण में क्षतिपूर्ति निर्धारण हेतु न्याय दृष्टांत **राजकुमार विरूद्ध अजयकुमार 2001 (1) ए0सी0सी0-343** में मुख्य कदम विश्लेषित किया गया है और जो मार्गदर्शक सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं उसमें यह बताया गया है कि अधिकरण को सबसे पहले यह निर्धारित करना चाहिए कि आवेदक को कोई स्थाई अयोग्यता आई है, और आई तो कितनी जिसके लिये जो मानदण्ड बताया गया है उनमें उन बिन्दुओं पर विचार करके निष्कर्षित करना चाहिए कि क्या अयोग्यता स्थाई है अथवा अस्थायी है, यदि स्थाई हो तो क्या वह आंशिक है या पूर्ण स्थाई अयोग्यता है, अयोग्यता का प्रतिशत किस अंक विशेष के संबंध में कितना है और उससे उसके पूरे शरीर पर क्या प्रभाव है? अर्थात् पूरे शरीर के मान से अयोग्यता का प्रतिशत कितना है तथा उसको स्थाई अयोग्यता से अर्जन क्षमता प्रभावित हुई है और हुई है तो वह कौनसी गतिविधियाँ कर सकता है और कौन से नहीं कर सकता है, उसका पूर्व का क्या व्यवसाय था उसके कार्य की प्रकृति क्या थी और उसकी आयु क्या थी और आजीविका कमाने में वह पूर्णतः अयोग्य हो चुका था, क्या स्थाई अयोग्यता होते हुए भी वह प्रभावी रूप में कार्य और गतिविधियाँ कर सकता था जो पहले भी करता रहा है।
19. इस संबंध में अभिलेख पर सुदृढ साक्ष्य नहीं है इसलिये आवेदक को उक्त दुर्घटना में आई चोटों के कारण स्थाई विकलांगता आना प्रमाणित न होने से वाद प्रश्न क्रमांक-4 उसके विरूद्ध निर्णीत कर अप्रमाणित ठहराया जाता है।

— वा द प्र श न क मां क—4 —

20. इस संबंध में आवेदक नाथूराम के अभिवचन में उसका कृषि कार्य एवं भैंस पालन कर आय अर्जित करना बताया गया है। इसी आशय की उसने मुख्य परीक्षण की साक्ष्य दी है कि कृषि से उसे 15 हजार रुपये मासिक आय होती थी और भैंस पालन से वह 50 हजार रुपये आय बताता है जो वह दुर्घटना में आई चोटों के कारण नहीं कर पा रहा है। किन्तु इस संबंध में पैरा-11 में उसने यह स्वीकार किया है कि वह शुरू से खेती करता है। खेती से जैसी पहले आमदनी होती थी वैसी आज भी आमदनी खेती से हो रही है। इस तरह से आवेदक की उक्त स्वीकारोक्ति से यह स्पष्ट होता है कि आवेदक को दुर्घटना में क्षतिग्रस्त होने के आधार पर उसका धनोपार्जन की क्षमता में कोई कमी नहीं आई है न ही इस संबंध में कोई विशेषज्ञ साक्ष्य उसने पेश की है न ही प्रमाणीकरण दिया जो उसकी अर्जन क्षमता में आई कमी को स्पष्ट कर सके। उसके पुत्र कमलेश अ0सा0-3 ने यह भी कहा है कि उसके पिता शुरू से ही खेती करते हैं और उससे ही घर का खर्च चलता है। वह स्वयं कोई काम धंधा नहीं करता है और पिता के बताये अनुसार वह खेती का ही काम देखता है। इस तरह से अर्जन क्षमता में कमी की पुष्टि आवेदक साक्ष्य से ही नहीं होती है। इसलिये यह प्रमाणित नहीं है कि आवेदक की दुर्घटना के फलस्वरूप कृषि कार्य व पशुपालन से कोई आय की क्षति हुई। फलतः वाद प्रश्न क्रमांक-4 भी आवेदक के विरुद्ध निर्णीत कर अप्रमाणित ठहराया जाता है।

— वा द प्र श न क मां क—5 —

21. उक्त वाद प्रश्न का सिद्धि भार भी आवेदक पर है। इस संबंध में आवेदक ने अपने अभिवचनों में इलाज पर तीन दिन भर्ती रहकर 20 हजार रुपये का खर्चा छः माह तक पूर्ण स्वस्थ होने के लिये कराया गया। इलाज में आने जाने, दवाईयों आदि पर 60 हजार रुपये कुल 80 हजार रुपये खर्च होना बताया है। आवेदक नाथूराम अ0सा0-1 ने अपने अभिसाक्ष्य में इलाज के रूप में एक लाख रुपये खर्च करना बताया है। लेकिन प्रतिपरीक्षण में उसने पैरा-11 में यह स्वीकार किया है कि उसने इलाज में जो पैसे खर्च किये हैं उसका कोई बिल प्रकरण में पेश नहीं किया है। न ही एक लाख रुपये की कोई रसीद प्रकरण में पेश की है। अभिलेख पर प्र0पी0-1 लगायत 9 के जो दस्तावेज पेश किये हैं उनमें सीएचसी गोहद में हुए मेडिकल परीक्षण की रिपोर्ट प्र0पी0-3, व एक्सरे रिपोर्ट प्र0पी0-4 के अलावा और कोई चिकित्सीय प्रमाण पेश नहीं किये हैं जिससे आवेदक का तीन दिन भर्ती रहकर इलाज में बताया हुआ खर्चा वास्तविकता में करना प्रमाणित नहीं है। किन्तु प्र0पी0-3 व 4 को

देखते हुए यह तो स्पष्ट है कि आवेदक का चोटिल होना और अस्थिभंजन होने के कारण कुछ न कुछ उपचार अवश्य कराना पडा है और उसमें निश्चित रूप से कुछ न कुछ व्यय अवश्य हुआ होगा। हूमरस नामक हड्डी के अस्थिभंजन को देखते हुए आवेदक के इलाज के मद में दस हजार रुपये की धनराशि दिलाई जाना उचित व न्यायसंगत प्रतीत होता है क्योंकि दस्तावेजों के अभाव में ऐसी उपधारणा नहीं की जा सकती है कि कोई इलाज नहीं लेना पडा होगा और उसमें कोई खर्च नहीं हुआ होगा। अतः वाद प्रश्न क्रमांक-5 के निष्कर्ष में आंशिक प्रमाणित निर्णीत कर दस हजार रुपये की सीमा तक इलाज खर्च प्रमाणित पाया जाता है। तदनुसार उक्त वाद प्रश्न का निराकरण किया जाता है।

—:— वा द प्र श न क मां क—7 —:—

22. उक्त वाद प्रश्न का प्रमाण भार अनावेदक क०-3 बीमा कंपनी पर है जिसके संबंध में अनावेदक क०-3 बीमा कंपनी की ओर से अरविन्द गोयल अना०सा०-1 को पेश किया गया है जिसने बीमा कंपनी के इन्वेस्टिगेटर की हैसियत से अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि उसने प्रकरण का अन्वेषण किया था जिसकी प्र०डी०-1 की रिपोर्ट तैयार की थी। उसके मुताबिक दुर्घटना में 24 सवारियों चोटिल हुईं जबकि बस का परमिट 21+1 का था। और वह परमिट भी केवल गोल पहाड़िया से डी०डी० नगर तक के लिये था। जो दिनांक 30.09.09 तक प्रभावी था। गोहद से ग्वालियर के लिये परमिट अनावेदक क०-1 व 2 के पास नहीं था इसलिये बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन किया गया है और बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति के लिये उत्तरदायी नहीं है। उक्त साक्षी ने अपनी अनुसंधान रिपोर्ट प्र०डी०-1 के साथ आहत नाथूराम की पत्नी रामश्री का जांच कथन प्र०डी०-2, नाथूराम का वोटर कार्ड प्र०डी०-3, बस क्रमांक-एम०पी०-07 एफ-1179 का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्र०डी०-4 अनावेदक क०-1 के ड्रायविंग लायसेन्स की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र०डी०-5, आरटीओ कार्यालय की ऑनलाईन दस्तावेजों संबंधी रसीद प्र०डी०-6, परमिट रिपोर्ट प्र०डी०-7 और प्रमाणीकरण प्र०डी०-8 के रूप में पेश किये हैं तथा यह बताया है कि उक्त बस उनकी कंपनी में नरेशसिंह के नाम से बीमित है। इस बात से इन्कार किया है कि बस का परमिट ग्वालियर से गोहद का था। अनुसंधान के दौरान आवेदक का अनावेदक क०-1 व 2 से कोई भी मुलाकात न होना स्वीकार करते हुए यह कहता है कि घटनास्थल के लिये कोई परमिट नहीं था, बीमा अवश्य था। और जो उसने फोटो निकाले थे वह डिजिटल कैमरा से निकाले थे।

23. आर०टी०ओ० कार्यालय ग्वालियर के सहायक ग्रेड-3 ताराचंद बाथम को बीमा कंपनी की ओर से अना०सा०-2 के रूप में पेश किया गया है जिसने भी अपने अभिसाक्ष्य में इस आशय की साक्ष्य दी है

कि बस क्रमांक-एम0पी0-07एफ-1179 का नरेशसिंह के नाम से अस्थाई परमिट दिनांक 01.07.09 से 30.09.09 तक के लिये गोल पहाडिया से डी0डी0 नगर ग्वालियर तक के लिये जारी किया गया था जिसका प्र0डी0-8 का वह प्रमाण पत्र बताता है।

24. अनावेदक क्र0-1 व 2 की ओर से गब्बरसिंह अना0सा0-3 को पेश किया गया है जिसने दुर्घटना से इन्कार कर इस बात की जानकारी होने से इन्कार किया है कि उक्त बस का परमिट दुर्घटना दिनांक 30.09.09 को गोल पहाडिया से डी0डी0 नगर तक था ही नहीं तथा यह अवश्य स्वीकार किया है कि 15-20 साल से वह ड्रायविंग करता है और उसने वाहन परमिट आदि की जांच नहीं की कि दुर्घटनाकारी वाहन का परमिट कब से कब तक और किस रूट का था।

25. अभिलेख पर दुर्घटना दिनांक 29.09.09 को ग्वालियर से गोहद के लिये दुर्घटनाकारी बस क्रमांक-एम0पी0-07-एफ-1179 का स्थाई और अस्थाई परमिट होने संबंधी कोई भी दस्तावेज पेश नहीं है जिसका उत्तरदायित्व अनावेदक क्र0-1 व 2 पर था। अनावेदक क्र0-3 की ओर से जो मौखिक साक्ष्य और दस्तावेज प्र0डी0-1 लगायत 10 के रूप में पेश किये हैं उनसे इस बात की पुष्टि होती है कि अनावेदक क्र0-1 गब्बरसिंह के पास वैध ड्रायविंग लायसेन्स दुर्घटना दिनांक को था किन्तु दुर्घटनाकारी बस का दुर्घटनाग्रस्त स्थान पर वाहन चलाने संबंधी कोई परमिट नहीं था बल्कि परमिट अस्थाई रूप से गोल पहाडिया से डी0डी0 नगर ग्वालियर के मार्गों के लिये ही दिनांक 01.07.09 से 30.09.09 तक के लिये जारी था। ऐसे में दुर्घटना दिनांक को दुर्घटनाकारी बस बिना वैध परमिट के दुर्घटनाग्रस्त स्थान पर चलाई जाना प्रमाणित होता है।

26. प्र0पी0-2 की एफ0आई0आर0 मुताबिक बस पलटकर दुर्घटनाग्रस्त हुई है। स्वयं आवेदक की साक्ष्य मुताबिक बस में क्षमता से अधिक सवारियाँ थीं क्योंकि स्वयं नाथूराम के मुताबिक बस खचाखच भरी थी और बस के गेट पर भी सवारियाँ लटकी थीं। तथा बस के अंदर डण्डा पकडकर भी सवारियाँ खड़ी थीं। उसके अन्य साक्षी 40-50 तक सवारियों बताते हैं। जबकि जो परमिट अस्थाई तौर पर जारी था उसमें भी 21+1 सवारियों के लिये ही था। इससे क्षमता से अधिक सवारियों का परिवहन भी होना प्रकट होता है जो कि प्र0डी0-10 की बीमा पॉलिसी की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। किन्तु आवेदक की स्थिति तृतीय पक्ष की है क्योंकि वह सवारी के रूप में था और सवारी के रूप में यात्रा करने का उसका खण्डन नहीं हुआ है। इसलिये क्षतिपूर्ति के लिये प्राथमिक उत्तरदायित्व बीमा कंपनी पर रहेगा। जो भुगतान कर राशि चालक व मालिक से बीमा पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन के कारण वसूल पाने में सक्षम है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **नेशनल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध छल्ला उपेन्द्र राव ए0आई0आर0 2004 एस0सी0 पेज-4882** अवलोकीय है। जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा

यह मार्गदर्शित किया गया है कि यदि वाहन वैध परमिट के बिना चलाया जा रहा हो तब दुर्घटना होती है तो यह कानून का उल्लंघन है। और ऐसा व्यक्ति जो वैध परमिट कि बना वाहन चला रहा हो उसे परमिट धारक से अच्छी स्थिति में नहीं माना जावेगा और यह बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन है। बीमा कंपनी को उत्तरदायी नहीं माना जा सकता है। किन्तु उपबंध कल्याणकारी है अतः बीमा कंपनी की पहले तृतीय पक्ष को भुगतान करने और फिर चालक व मालिक से प्रतिकर वसूलने का निर्देश दिया जाना चाहिए जो इस प्रकरण में भी लागू होता है। क्योंकि इस प्रकरण में आवेदक सवारी होकर तृतीय पक्ष है और वगैर परमिट क्षमता से अधिक सवारियों का परिवहन किया जाना पाया गया है।

27. इस तरह से वगैर परमिट परिवहन से बीमा शर्तों का उल्लंघन तो हुआ है किन्तु बीमा कंपनी का प्राथमिक उत्तरदायित्व अवश्य बनता है। क्योंकि मामले में भुगतान करे और वसूले (pay and recovery) का सिद्धान्त लागू होता है। अतः उक्त अनुसार वाद प्रश्न क्रमांक-7 का निराकरण किया जाता है।

— वा द प्र श न क मां क—6 व 8 —

28. उक्त दोनों वाद प्रश्न सहायता संबंधी होने से दोनों वाद प्रश्नों का निराकरण सुविधा की दृष्टि से एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने के लिये एकसाथ किया जा रहा है।

29. उपरोक्त किये गये विश्लेषण मुताबिक वाद प्रश्न क्रमांक-5 के निष्कर्ष में इलाज के मद में आवेदक को 10,000/-रुपये की क्षतिपूर्ति निर्धारित की गई है। आवेदक द्वारा उपचार के दौरान विशेष आहत भी लिया गया होगा। हालांकि उसका कोई दस्तावेज संभव नहीं है। अभिवचनों में पौष्टिक आहार पर बीस हजार रुपये खर्च होना बताये हैं किन्तु उसका कोई विवरण नहीं दिया है। न ही इस संबंध में कोई दस्तावेज पेश किया गया है इसलिये पौष्टिक आहार के रूप में बीस हजार रुपये की राशि खर्च करना कतई प्रमाणित नहीं होता है। और पौष्टिक आहार के दम में 2,000/-रुपये आवेदक को दिलाये जाना उचित व न्यायसंगत प्रतीत होता है। शारीरिक व मानसिक पीडा के लिये 3,000/-रुपये दिलाये जाना उचित है। इस प्रकार से कुल क्षतिपूर्ति राशि आवेदक को 15,000/-रुपये एवं उस पर अधिनिर्णय दिनांक से छः प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज अदायगी तक दिलाये जाना उचित व न्यायसंगत प्रतीत होता है। फलतः वाद प्रश्न क्रमांक-6 व 8 को आंशिक रूप से आवेदक के पक्ष में प्रमाणित निर्णीत करते हुए आवेदक के पक्ष में व अनावेदक के विरुद्ध निम्न आशय का अधिनिर्णय पारित किया जाता है कि:-

अ- आवेदक अनावेदकगण से दुर्घटना में हुई क्षति की पूर्ति के रूप में कुल 15,000/-रुपये एवं उस पर अधिनिर्णय दिनांक से छः प्रतिशत

वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है जो दो माह के भीतर भुगतान किया जावे। अपालन की दशा में आवेदक वैधानिक प्रक्रिया के तहत उक्त राशि मय ब्याज वसूलने का अधिकारी होगा।

ब— आवेदक को क्षतिपूर्ति राशि 15,000/-रूपये एवं ब्याज भुगतान का प्राथमिक उत्तरदायित्व अनावेदक क्र0-3 बीमा कंपनी पर होगा जो भुगतान करने के पश्चात उक्त राशि अनावेदक क्र0-1 व 2 से विधिवत वसूलने की अधिकारिणी होगी।

स— अनावेदकगण अपने प्रकरण के व्यय के साथ साथ आवेदक का प्रकरण व्यय भी संयुक्ततः वहन करेंगे जिस पर अभिभाषक शुल्क नियमानुसार प्रमाणित होने पर या सूची अनुसार जो भी कम हो, वह जोड़ा जावे।

तदनुसार व्यय तालिका बनायी जावे।

दिनांक: **01 मई-2015**

अधिनिर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया

(पी.सी. आर्य)

सदस्य द्वितीय मोटरयान दावा
दुर्घटना अधिकरण, गोहद
जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)

सदस्य द्वितीय मोटरयान दावा
दुर्घटना अधिकरण, गोहद
जिला भिण्ड